न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुगार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 112/2018

1– नेमाराम पुत्र नोलाराम

2– कैलाश पुत्र नोलाराम जातियान जाट निवासीगण बोड़िदकलां तहसील जायल जिला नागौर।

......................वादीगण

बनाम

1– नोलाराम पुत्र बगसाराम

2– प्रेमप्रकाश पुत्र नोलाराम

3– हीराम पुत्र नोलाराम जातियान जाट निवासीगण बोड़िदकलां तहसील जायल जिला नागौर।

3– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1 श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की और से।

2 श्री रामप्रकाश बेडा प्रतिवादी सं. 01 से 03 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.05.2019

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि भूमि मौजा बोड़िदकलां के खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 11.08 बीघा, खेत ख.नं. 122 रकबा 12 बीघा, खेत ख.नं. 315/117 रकबा 05.15 बीघा खेत खसरा नम्बर 316/144 रकबा 05.12 बीघा खसरा नम्बर 150 रकबा 02.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 314/77 रकबा 05.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 318/22 रकबा 08.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 317/173 रकबा 09.12 बीघा एवं खेत खसरा नम्बर 313/60 रकबा 0.07 बीघा कुल खेताय 9 जिनका कुल रकबा 60.09 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:–

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क,ख,ग,घ व च के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर वकील श्री रामप्रकाश बेड़ा ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 03 की और से इन की पहचान देकर इन की ओर से राजीनामा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारो में राजीनामा होने के कारण राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिकी किया जाता है :-

1. वादी संख्या 01 नेमाराम के हकबंट में मौजा बोड़िदकलां के खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 11.08 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 315/117 रकबा 05.15 बीघा सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 02 कैलाश के हकबंट में मौजा बोड़िदकलां के खेत खसरा नम्बर 317/173 रकबा 09.12 बीघा पूरा रखा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 नोलाराम के हकबंट में मौजा बोड़िदकलां के खेत खसरा नम्बर 314/144 रकबा 05.02 बीघा पूरा व खेत खसरा नम्बर 313/60 रकबा 0.07 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 02 प्रेमप्रकाश के हकबंट में मौजा बोडिदकलां के खेत खसरा नम्बर 316/144 रकबा 05.12 बीघा पूरा व खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 02.10 बीघा रखा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 03 हीराराम के हकबंट में मौजा बोड़िदकलां के खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 12 बीघा पूरा व खेत खसरा नम्बर 318/222 रकबा 08.03 बीघा रखा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner